

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2017/Ext.]CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 30, 2017 (ASADHA 8, 1939 SAKA)

#### हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

### अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 2017

संख्या 48/एसटी-2 -- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में वर्णित सेवाओं की प्रदाय के प्रवर्गों पर, जिनकी प्रदाय उक्त सारणी के खाना (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण केंद्रीय कर का भुगतान, उक्त सारणी के खाना (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्रापक द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर किया जाएगा, अर्थात:-

#### सारणी

क्रम	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का	सेवा का प्राप्तिकर्ता
संख्या		पूर्तिकार	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किसी माल परिवहन अभिकरण	माल	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित,
	(जीटीए) द्वारा माल के सड़क द्वारा	परिवहन	

निम्नलिखित को परिवहन की बाबत सेवाओं की पूर्ति -

- (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या
- (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या
- (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या
- (घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या
- (इ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को : या
- (च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है: या
- (छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति ।

अभिकरण (जीटीए)

- (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके दवारा किसी भी कारखाने को ; या
- (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या
- (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या
- (घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या
- (इ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी निगमित निकाय को ; या
- (च) किसी विधि के अधीन किसी भी भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है : या
- (छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति।

2	किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके	कोई	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
2	अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है	,	कारबार अस्तित्व।
	द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके		कारबार जास्तरप
	अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी		
	सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा		
	किसी अन्य अधिवक्ता या		
	अधिवक्ताओं की किसी फर्म के	पग पग्न	
	माध्यम से की गई थी, में अवस्थित		
	किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या		
	अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय,		
	अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष		
	प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध		
	कराने हेत् या अधिवक्ताओं की किसी		
	फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को		
	विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध		
	कराई गई सेवाएं ।		
3	किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा	कोई	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
3	किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित	्र <sup>गर</sup> माध्यस्थम्	कारबार अस्तित्व ।
	सेवाएं ।	अधिकरण	antait siittita 1
4	किसी भी निगमित निकाय या		कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
	भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के	व्यक्ति	निगमित निकाय या भागीदारी फर्म ।
	रूप में दी गई सेवाएं ।		
5	किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय	केंद्रीय	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
	सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		कारबार अस्तित्व ।
	या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित	राज्य	
	सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित	सरकार, संघ	
	नहीं हैं,-	राज्यक्षेत्र या	
	(1) स्थावर संपत्ति को किराए	स्थानीय	
	पर देना ; और	प्राधिकरण	
	(2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं-		
	(i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल		
	पोस्ट, जीवन बीमा और		
	अभिकरण सेवाओं के रूप में		
	डाक विभाग द्वारा केंद्रीय		

	सरकार, राज्य सरकार, संघ		
	राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न		
	किसी व्यक्ति को दी गई		
	सेवाएं ;		
	(ii) किसी पत्तन या किसी		
	विमानपत्तन की प्रसीमाओं के		
	भीतर या बाहर किसी		
	वायुयान या जलयान के		
	संबंध में सेवाएं ;		
	(iii) माल या यात्रियों का		
	परिवहन ।		
		<u> </u>	
6	किसी कंपनी या किसी निगमित		कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
	निकाय के निदेशक द्वारा उक्त		कंपनी या निगमित निकाय ।
	कंपनी या निगमित निकाय को	निगमित	
	पूर्तित सेवाएं ।	निकाय का	
		कोई	
		निदेशक	
7	किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा		कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
	कारबार करने वाले किसी व्यक्ति को	अभिकर्ता	व्यक्ति, जो बीमा कारबार कर रहा है ।
	पूर्तित सेवाएं ।		
8	किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी	कोई वसूली	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
	बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय	अभिकर्ता	बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या
	संस्था या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय		गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी ।
	कंपनी को पूर्तित सेवाएं ।		
9	किसी लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर,	लेखक,	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
	कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	संगीतकार,	प्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और
	द्वारा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,	फोटोग्राफर,	उसी प्रकार के अन्य ।
	1957 की धारा 13 की उपधारा (1)	कलाकार	
	के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले	और उसी	
	मूल साहित्यिक, नाट्य, संगीत संबंधी	प्रकार के	
	या कला संबंधी कार्यों से संबंधित	अन्य	
	प्रतिलिप्यधिकार का किसी प्रकाशक,		
	संगीत कंपनी, निर्माता और उसी		
	1 11 11 11, 11 11, 11 11, 11	l	

प्रकार के अन्य द्वारा उपयोग या	
उपभोग का अंतरण करने या उसकी	
अनुज्ञा देने के रूप में सेवाओं की पर्ति ।	

व्याख्या-इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

- (क) कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित माल वाहक सड़क द्वारा मालों के परिवहन के लिए किराए का भुगतान करता है या माल किराए का भुगतान करने का दायी है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए सेवा प्राप्त करता है ।
- (ख) "निगमित निकाय" का वही अर्थ है, जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (11) में दिया गया है।
- (ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो मुकदमेबाज, आवेदक या याची, जैसी भी स्थिति हो, है ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है।
- (घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किंतु हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होगें जो उन्हे इन अधिनियमों में क्रमश: दिए गए है।
- 2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी ।

संजीव कौशल अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग ।

## HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT NOTIFICATION

The 30<sup>th</sup> June, 2017

No:48/ST-2 – In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana on the recommendations of the Council hereby notifies that on categories of supply of services mentioned in column (2) of the Table below, supplied by a person as specified in column (3) of the said Table, the whole of State tax leviable under section 9 of the said Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the such services as specified in column (4) of the said Table, namely:-

#### **Table**

Sl.	Category of Supply of Services	Supplier	Recipient of Service
No.		of service	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Supply of Services by a goods	Goods	(a) Any factory registered under or
	transport agency (GTA) in respect	Transport	governed by the Factories Act,
	of transportation of goods by road	Agency	1948(63 of 1948); or
	to-	(GTA)	(b) any society registered under the
	(a) any factory registered under or		Societies Registration Act, 1860
	governed by the Factories Act,		(21 of 1860) or under any other
	1948(63 of 1948);or		law for the time being in force in
	(b) any society registered under the		any part of India; or
	Societies Registration Act, 1860		(c) any co-operative society
	(21 of 1860) or under any other law		established by or under any law; or
	for the time being in force in any		(d) any person registered under the
	part of India; or		Central Goods and Services Tax
	(c) any co-operative society		Act or the Integrated Goods and
	established by or under any law; or		Services Tax Act or the State
	(d) any person registered under the		Goods and Services Tax Act or the
	Central Goods and Services Tax		Union Territory Goods and
	Act or the Integrated Goods and		Services Tax Act; or
	Services Tax Act or the State		(e) any body corporate established,
	Goods and Services Tax Act or the		by or under any law; or
	Union Territory Goods and		(f) any partnership firm whether
	Services Tax Act; or		registered or not under any law

	( ) 1 1 4 4 11 1		· 1 1: ·
	(e) any body corporate established,		including association of persons; or
	by or under any law; or		(g) any casual taxable person;
	(f) any partnership firm whether		located in the taxable territory.
	registered or not under any law		
	including association of persons; or		
	(g) any casual taxable person.		
2	Services supplied by an individual	An	Any business entity located in the
	advocate including a senior	individual	taxable territory.
	advocate by way of representational	advocate	
	services before any court, tribunal	including	
	or authority, directly or indirectly,	a senior	
	to any business entity located in the	advocate	
	taxable territory, including where	or firm of	
	contract for provision of such	advocates.	
	service has been entered through		
	another advocate or a firm of		
	advocates, or by a firm of		
	advocates, by way of legal services,		
	to a business entity.		
3	Services supplied by an arbitral	An arbitral	Any business entity located in the
	tribunal to a business entity.	tribunal.	taxable territory.
4	Services provided by way of	Any	Any body corporate or partnership
	sponsorship to any body corporate	person	firm located in the taxable territory.
	or partnership firm.	1	,
5	Services supplied by the Central	Central	Any business entity located in the
	Government, State Government,	Governme	taxable territory.
	Union territory or local authority to	nt, State	
	a business entity excluding, -	Governme	
	(1) renting of immovable property,	nt, Union	
	and	territory or	
	(2) services specified below-	local	
	(i) services by the Department of	authority	
	Posts by way of speed post, express		
	parcel post, life insurance, and		
	agency services provided to a		
	person other than Central		
	Government, State Government or		
	Union territory or local authority;		
1	(ii) services in relation to an		

	outside the precincts of a port or an airport;		
	(iii) transport of goods or passengers.		
6	Services supplied by a director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate.	A director of a company or a body corporate	The company or a body corporate located in the taxable territory.
7	Services supplied by an insurance agent to any person carrying on insurance business.	An insurance agent	Any person carrying on insurance business, located in the taxable territory.
8	Services supplied by a recovery agent to a banking company or a financial institution or a non-banking financial company.	A recovery agent	A banking company or a financial institution or a non-banking financial company, located in the taxable territory.
9	Supply of services by an author, music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary, dramatic, musical or artistic works to a publisher, music company, producer or the like.	Author or music composer, photograp her, artist, or the like	Publisher, music company, producer or the like, located in the taxable territory.

#### Explanation.- For purpose of this notification,-

- (a) The person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage, located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the service for the purpose of this notification.
- (b) "Body Corporate" has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
- (c) the business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner, as the case may be, shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification.

- (d) the words and expressions used and not defined in this notification but defined in the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, and the Union Territory Goods and Services Tax Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

55451-C.S.-H.G.P., Chd.